

**अधिसूचना संख्या 181/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1968(ई), दिनांक  
20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1030 (ई) दिनांक 7.5.2012 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 8 पर अधिसूचित किया था, "; (क) प्रसन्नम - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, करिकोडु (पी.ओ.), केरल (ख) प्रकाशम - विशेष शिक्षा संस्थान दक्षिण पिरामडोम, पंपकुडा, एर्नाकुलम, केरल। (ग) प्रशांतम - एचआईवी/एड्स और कैंसर रोगियों के लिए प्रशामक देखभाल केंद्र, "मार पचोमियोस चैरिटेबल सोसाइटी, मार्च पचोमियोस माउंट, मीमपारा पी.ओ. पुथेनकूज़, एर्नाकुलम - 682 308" द्वारा, एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के साथ समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 11.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा योजना या परियोजना "(क) प्रसन्नम - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, करिकोडु (पी.ओ.), केरल (ख) प्रकाशम - विशेष शिक्षा संस्थान दक्षिण पिरामडोम, पंपकुडा, एर्नाकुलम, केरल को अधिसूचित करती है। (ग) प्रशांतम - एचआईवी/एड्स एवं कैंसर रोगियों के लिए प्रशामक देखभाल केंद्र", जिसे "मार पचोमियोस चैरिटेबल सोसाइटी, मार पचोमियोस माउंट, मीमपारा पी.ओ. पुथेनकूज़, एर्नाकुलम - 682 308" द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होकर तीन वर्षों की अवधि *अर्थात्* 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 11.49 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना कार्यान्वित किया जा रहा है।

■ ■